न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शाहपुरा

प्रकरण संख्या 04/2023 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये प्रेम चन्द शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा – प्रार्थी	बनाम	01 राजेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह राजपुरोहित, 02 करण सिंह पुत्र मोती सिंह राजपुरोहित, मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, न्यू बस स्टैण्ड कोटडी, जिला शाहपुरा —विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

विपक्षी उपस्थित

आदेश

दिनांक 14.12.2023

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप प्रेम चन्द शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार प्रो0 राजेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह राजपुरोहित एवं प्रो0 करण सिंह पुत्र मोती सिंह राजपुरोहित निवासी न्यू बस स्टैण्ड कोटडी जिला शाहपुरा पर निरीक्षण करने पर पाया कि विपक्षी प्रो0 राजेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह राजपुरोहित विक्रेता की हैसियत से खाद्य पदार्थ खोआ, मलाई वर्फी आदि आम जनता को विकय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुये थे। मौके पर विक्रेता से खाद्य लाइसेंन्स/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जो मौके पर दिखाया गया। उक्त फर्म का गवाहान की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि फर्म पर कुल 4–5 किलोग्राम खोआ एक ट्रे में विक्रय हेतु रखे हुये थे। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना कारोवारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। खोआ का नमूना लेकर वास्ते जॉच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जॉच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बावत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.03.2023 को समय 2.00 पी.एम. पर बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग प्रो0 राजेन्द्र पुत्र मोतीसिंह राजपुरोहित निवासी कोटड़ी उक्त फर्म में विक्रेता की हैसियत से खोआ, मलाई वर्फी आदि आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु कब्जे में रखे हुये थे।

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में विक्रेता को 300/—रू. नगद देकर 1.00 किलोग्राम खोआ को जांच हेतु खरीदा एवं रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये गये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एफएस— 1547 नाम, पता, वस्तु का नाम, नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर नियमानुसार सील चपडी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगषाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./193/ एक्ट/2023/220 दिनांक 13.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, खोआ निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बावत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी राजेन्द्र पुत्र मोतीसिंह राजपुरोहित एवं करण सिंह पुत्र मोतीसिंह राजपुरोहित निवासी न्यू बस स्टैण्ड कोटड़ी जिला शाहपुरा द्वारा सबस्टैण्डर्ड खोआ का विकय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से प्रकरण स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 26.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 28.11.2023 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित नहीं। विपक्षी उपस्थित है।

प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने खोआ में Milk fat content of the finished product 28.5 प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 30.00 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड खोआ का विकय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध अधिकतम जुर्माना आरोपित की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना ली गई फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस का समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना ली गई फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगषाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./193/ एक्ट/2023/220 दिनांक 13.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, खोआ निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने खोआ में Milk fat content of the finished product 28.5**

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 30.00 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड खोआ (लूज) विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार प्रो0 राजेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह राजपुरोहित एवं प्रो0 करण सिंह पुत्र मोती सिंह राजपुरोहित निवासी न्यू बस स्टैण्ड कोटड़ी जिला शाहपुरा सबस्टैण्डर्ड खोआ का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड खोआ का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 10000/—रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा
अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

01 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाहपुरा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

02 मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार प्रो0 राजेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह राजपुरोहित एवं प्रो0 करण सिंह पुत्र मोती सिंह राजपुरोहित निवासी न्यू बस स्टैण्ड कोटड़ी जिला शाहपुरा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राषि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय शाहपुरा में प्रस्तुत करे ।

(चन्दन दुबे)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा
अति. जिला कलक्टर
शाहपुरा